UPSR010012062026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– अमित कुमार प्रजापति (उच्चतर न्यायिक सेवा ID UP06330)

जमानत आवेदन सं०–453/2026

मुकेश कुमार उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र केशवराम,
निवासी–ग्राम बघमरी दा० बेगमपुर थाना हरदत्त नगर गिरन्ट, जनपद श्रावस्ती।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ०प्र० **.....अभियोगी**

अ० सं०–64/2026
धारा– 80(2), 85 बी०एन०एस० 2023
व 3/4 डी०पी० एक्ट।
थाना–हरदत्त नगर गिरन्ट, जिला–श्रावस्ती।

दिनांक 09.06.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **मुकेश कुमार** की ओर से अपराध संख्या 64/2026, धारा 80(2), 85 बी०एन०एस० 2023 व 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना हरदत्त नगर गिरन्ट, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सहदेव प्रसाद पुत्र पुत्ती लाल निवासी ग्राम सुल्तान जोत चहलवा, थाना मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती, ने प्रभारी निरीक्षक थाना हरदत्त नगर गिरन्ट, जनपद श्रावस्ती को दिनांक 24.04.2026 को समय 17.41 बजे इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी बहन सुशीला देवी की शादी मई 2025 में मुकेश कुमार पुत्र केशव राम निवासी ग्राम बघमरी दा० बेगमपुर थाना हरदत्त नगर गिरन्ट के साथ हुई थी। सुशीला देवी का पति मुकेश कुमार शादी में मिले दहेज से खुश नहीं था तथा दहेज की मांग करते हुए सुशीला देवी का उत्पीड़न करते आ रहा था तथा पिछले चार दिन से वह उससे मारपीट कर रहा था। सूचना दिन के लगभग 11 बजे की है। सुशीला देवी को उसके पति ने फांसी का फदा लगाकर मार दिया है। सूचना मिलने पर प्रार्थी अपने परिजनों के साथ सुशीला देवी के घर पर आया तो देखा कि प्रार्थी की बहन सुसीला देवी कमरे के अन्दर छत में लगे खुंडे में पीली रस्सी का गले में फंदा डालकर मृत्यु की दशा में लटकी हुई है। प्रार्थी की बहन को उसके पति ने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मार दिया है। वह सूचना को आया है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी। उक्त तहरीर के आधार पर विपक्षी मुकेश कुमार

के विरूद्ध धारा 80(2), 85 बी०एन०एस० 2023 व 3/4 डी०पी० एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सत्यता यह है कि आवेदक/अभियुक्त गरीब है तथा प्रतिदिन मजदूरी पेशा कर अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करता है, तथा मृतका की सुख सुविधा एवं बेहतर रहन सहन का निरंतर देखभाल करता था। जिस कारण वह अपनी माता–पिता से बंटवारा कर अलग रह रहा था। आवेदक/अभियुक्त की मौसी जो आवेदक/अभियुक्त के ग्राम बघमरी दा० बेगमपुर थाना हरदत्त नगर गिरन्ट जनपद श्रावस्ती की पुत्री सजनी की शादी ग्राम मधुबन थाना को० नानपारा जनपद बहराइच में सन्तोष पुत्र बाराती के साथ दिनांक 01.07.2026 को होना निश्चित हुआ था। उसी वैवाहिक कार्यक्रम हेतु गोदभराई की रस्म दिनांक 23.04.2026 को मधुबन से आवेदक/अभियुक्त के गांव लड़के वाले आए थे। आवेदक/अभियुक्त भी उसी कार्यक्रम में व्यस्त था तथा दिनांक 24.04.2026 को सुबह 09 बजे उन सभी मेहमानों की विदाई हेतु आवेदक/अभियुक्त अपने मौसेरे भाई के साथ उन सभी मेहमानों को उपहार स्वरूप दिये गए सामान के अधिकता के कारण उनको भेजने के लिए ग्राम मधुबन जाना था। आवेदक/अभियुक्त अपने घर आया और ग्राम मधुबन जाने की बात कही। उसी समय मृतका सुशीला देवी ने दिनांक 26.04.2026 को अपने चेचेरे भाई के लड़के गुड्डू पुत्र बंशीलाल निवासी ग्राम सुल्तानजोत चहलवा थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती की शादी दिनांक 26.04.2026 को होने की बात कही तथा उस शादी में सम्मिलित होने के लिए आवेदक/अभियुक्त से 10,000/– रुपये की मांग की। तत्समय आवेदक/अभियुक्त के पास पैसे उपलब्ध नहीं थे। इसलिए आवेदक/अभियुक्त ने मृतका सुशीला देवी को रुपये देने में असमर्थता जाहिर की तथा मधुबन से वापस आने के पश्चात रुपयों की व्यवस्था कर मृतका द्वारा मांगे गए रुपयों को देने का आश्वसान दिया जिस कारण सुशीला देवी आवेदक/अभियुक्त पर काफी नाराज हुई और उसे भला बुरा कहा और फिर आवेदक/अभियुक्त अपनी मौसी की बहन की गोदभराई के कार्यक्रम में आए मेहमानों की विदाई हेतु मधुबन चला गया। आवेदक/अभियुक्त जब वहां पहुंचा ही था कि गांव से फोन आया कि उसकी पत्नी ने कमरा बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। तब आवेदक/अभियुक्त तुरन्त वहां से वापस अपने घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया है। आवेदक/अभियुक्त इस घटना से काफी आहत और परेशान हुआ। आवेदक/अभियुक्त का इस तथाकथित घटना से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा सुशीला देवी व उसके मायके वालों से कभी कोई दहेज की मांग नहीं की गयी और न ही इस बात की शिकायत मृतका व उसके मायके वालों ने आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध

कभी कहीं की। बल्कि मृतका बतौर पत्नी उसके साथ खुशी–खुशी जीवनयापन कर रही थी। आवेदक/अभियुक्त पिछड़ी जाति का बढ़ई का सदस्य है तथा उसकी जाति में दहेज लेने व देने का रिवाज नहीं है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। वह बिल्कुल निर्दोष एवं बेगुनाह है। आवेदक/अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 24.04.2026 से जिला कारागार श्रावस्ती में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए उसको मारते–पीटते हुए प्रताड़ित करता था तथा मांग पूरी न होने के कारण उसने मृतका को फांसी पर लटका कर उसकी हत्या कर दी। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना है।

6– मुकदमा अपराध संख्या 64/2026, थाना हरदत्तनगर गिरन्ट, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक /अभियुक्त मृतका का पति है। आवेदक/अभियुक्त पर अभियोजन की ओर से मृतका को मार पीटकर प्रताड़ित करने हुए दहेज की अतिरिक्त मांग करने तथा मांग पूरी न होने पर उसको मारे जाने का कथन किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया है। चिकित्सीय परीक्षण आख्या में गले पर फांसी के फंदे के अलावा मृतका के बाएं पैर में पुरानी चोट का निशान पाया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त मुकेश कुमार का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **मुकेश कुमार** का जमानत आवेदन मु०अ०सं० 64/2026, धारा–85, 80(2) बी०एन०एस० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना हरदत्तनगर गिरन्ट, जिला श्रावस्ती के मामले में निरस्त किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त को इस आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए।

(अमित कुमार प्रजापति)
प्र० सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 09.06.2026